31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष केलिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

---

1) हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्त्तव्य,शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची (बोर्ड) के संलग्न तुलन-पत्र, जैसे कि 31 मार्च 2015 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष केलिए आय - व्यय लेखे और प्राप्ति और अदायगी लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों मेँ बोर्ड की यूनिटों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।

2) इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेँ, केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखा रीतियों, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण-मानकों आदि के अनुसार लेखा प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियम व विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि ,यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3) हमने भारत मेँ सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे मेँ उचित आश्वासन प्रकट करने केलिए हम इस लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं कि क्या ये वित्तीय विवरण गलत वस्तुगत विवरणों से रहित हैं। लेखापरीक्षा मेँ, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन का समर्थन करनेवाले प्रमाणों की परख शामिल है। लेखापरीक्षा मेँ मैनेजमेंट द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं तैयार किए गए उल्लेखनीय आकलनों का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा अपनी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती हैं।

4) अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं , प्राप्त हुई हैं।

(ii) इस रिपोर्ट मेँ दिये गए तुलन-पत्र, आय-व्यय तथा प्राप्ति और अदायगी लेखा वित्त मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट मेँ तैयार किए गए हैं ।

(iii) हमारी राय मेँ स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 18(1) के साथ पठित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन अपेक्षित समुचित लेखा-बहियाँ एवं अन्य संगत रिकार्ड उचित रूप से बोर्ड द्वारा बनाए रखे गए हैं, जैसे कि ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(अ) तुलन-पत्र

1. देनदारियाँ

1.1 उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां (अनुसूची-3) 152.08 करोड़ रुपए

क) चालू परिसंपत्तियों , ऋणों और अग्रिमों की न्यूनोक्ति के परिणाम स्वरूप विभिन्न उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों के अधीन ऋण-शेषों के समायोजन के कारण 0.17 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।

ख) कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि से पेंशनरों / परिवार पेंशनरों केलिए मेडिक्लेइम पॉलिसी की प्रीमियम के भुगतान और आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की संगत न्यूनोक्ति के कारण 0.15 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है ।

(आ) आय और व्यय लेखा

मूल/पूंजी निधि में दिखाया गया घाटा : 20.98 करोड़ रुपए

क) बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन और उपादान और छुट्टी नकदीकरण की वजह से देनदारी के कम प्रावधान के कारण 100.20 करोड़ रुपए तक की न्यूनोक्ति हुई है जिसके परिणाम स्वरूप देनदारियों में तदनुरूपी न्यूनोक्ति हुई है।

ख) वर्ष 2014-15 केलिए नमूनन और भराई चार्जों, जिसकेलिए वर्ष 2015-16 के दौरान दावा प्राप्त हुआ था, से संबन्धित खर्च केलिए प्रावधान न होने के कारण 29.23 लाख रुपए की न्यूनोक्ति हुई है जिसके परिणाम स्वरूप चालू देनदारियों में न्यूनोक्ति हुई है ।

इ) सामान्य

सावधि जमा रजिस्टर , बंद हुई सावधि जमाओं केलिए रसीदों की प्रतियां, जमाओं की प्रधान राशि, प्रदत्त ब्याज और उपचित ब्याज के अभाव में अल्पावधि जमाओं और निवेशों पर उपचित आय की राशि की वास्तविकता लेखा परीक्षा से सुनिश्चित नहीं कर सकी । आगे, बोर्ड ने 31.65 करोड़ रुपए की अल्पावधि जमाओं पर उपचित ब्याज (निर्धारित नहीं किया गया है) का गणन नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की तदनुरूप अत्युक्ति के साथ चालू परिसंपत्तियां , ऋण तथा अग्रिम की न्यूनोक्ति हुई है।

घ. टिप्पणियों का प्रभाव

उपर्युक्त टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि देनदारियों में 100.81 करोड़ रुपयों की न्यूनोक्ति हुई है, परिसंपत्तियों में 0.17 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है और आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता में 100.64 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है ।

ड.) सहायता - अनुदान

भारत सरकार से, वर्ष के दौरान 115.86 करोड़ रुपयों के अनुदान प्राप्त हुए और, जिनमें **संलग्नक -II** में दिए अनुसार 112.01 करोड़ रुपए उपयोजित किए गए और 3.85 करोड़ रुपए अव्ययित है।

च) प्रबंधन-पत्र

कमियाँ, जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके उपचारी कार्य केलिए अलग से जारी किए गए एक प्रबंधन-पत्र के ज़रिए अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड के ध्यान में लाई गई हैं।

(v) पहले के पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन-पत्र एवं आय-व्यय लेखा और प्राप्ति व अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(vi)अपनी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा-नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए उल्लेखनीय मामलों के अधीन और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **संलग्नक - I** में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के समनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

क) जैसे कि 31 मार्च 2015 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा

ख) यह जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष केलिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक केलिए और की ओर से,

ह.

(के.पी.आनंद)

स्थान :चेन्नै

दिनांक: 06/11/2015

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षा बोर्ड,चेन्नै के पदेन सदस्य

संलग्नक -1

1. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में मौजूद आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी :-

- निहित कमियों के कारण, बोर्ड में मौजूद लेखाकरण सॉफ्टवेयर, वित्तीय लेखाकरण प्रणाली (एफ ए एस) वित्तीय विवरण तैयार करने में असमर्थ थी। साथ ही, एफ ए एस द्वारा तैयार किया गया कच्चा मिलान त्रुटिपूर्ण रहा, जो कच्चा मिलान और वित्तीय विवरणों को हाथ से तैयार करने में परिणत हो गया।
- तुलन पत्र एवं प्राप्ति और अदायगी लेखे ने वर्ष 2014-15 के अंत तक के नकद शेष के रूप में 23/- रु. दिखाया है जो वास्तव में गलत है चूँकि बोर्ड ने प्रादेशिक कार्यालयों को अग्रदाय और स्थिर अग्रिम दिए हैं। जैसे कि 31 मार्च 2015 तक के अंतिम नकद शेष में मुख्यालय का नकद शेष ही शामिल है, और बोर्ड के अधीन के सभी कार्यालयों के नकद शेष शामिल नहीं हैं। आगे, 31 मार्च 2015 तक के नकद शेष में, हाथ में ड्राफ्ट, चेक तथा स्टाम्प व फ़्रांकिंग मशीन के शेष शामिल नहीं हैं।

परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड में मौजूद परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी :-

- स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर नियमित रूप से अद्यतन नहीं बनाया जा रहा था।
- जीएफ़आर 2005 के नियम 192(1) के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों / स्टॉक का सत्यापन कम से कम साल में एक बार किया जाना चाहिए और तदनुरूप रजिस्टर में सत्यापन का परिणाम दर्ज किया जाना चाहिए। विसंगतियाँ, यदि कोई हैं तो, तुरंत जांच की जाएगी और लेखे में लाई जाएँगी । आगे बोर्ड के "मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर " की पैरा सं.12.5.3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के समापन के बाद प्रत्येक स्टॉक-धारक द्वारा परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया जाना चाहिए और रजिस्टर में प्रत्येक मद के मामले में वस्तुगत सत्यापन के आवश्यक प्रमाणपत्र दर्ज किए जाने चाहिए। यद्यपि 31 मार्च 2015 को बोर्ड को 197.19 करोड रुपए मूल्य की स्थिर परिसंपत्तियां थीं, उन स्थिर परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन किया जाना शेष है और जो जीएफ़आर और मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर का उल्लंघन है।

3. **मालसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली**

बोर्ड में मौजूद मालसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी :-

- बोर्ड के मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर की पैरा सं.12.8 के अनुसार हरेक वित्तीय वर्ष के समापन पर प्रभारी अधिकारी या उनके नामिती द्वारा स्टॉक/स्टोरों का एक वस्तुगत सत्यापन किया जाना चाहिए और उसके परिणाम पर रिपोर्ट सत्यापन के प्रमाणपत्र के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी को पुनरीक्षा हेतु हर साल अप्रैल अंत तक भेज दी जानी चाहिए। आगे, मैनुअल की पैरा सं.12.10 और 12.11 में बताया गया है कि सभी उपभोज्य मालों का वस्तुगत सत्यापन साल में एक बार किया जाना चाहिए और सत्यापन का प्रमाणपत्र निष्कर्षों सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(ह.)

उप निदेशक

संलग्नक -II

वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता-अनुदान की प्राप्ति और उपयोग का परियोजना वार विवरण

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि	पिछले वर्ष से अग्रानीत अनुदान की राशि	वर्ष के दौरान आई ई बी आर	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान आई ई बी आर सहित	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	31/03/2015 को है, अनुप्रयुक्त राशि जो अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत
योजना	95	-	-	95	95.31	(0.31)
गैर-योजना	15	-	5.86	20.86	16.70	4.16
कुल	**110**	**-**	**5.86**	**115.86**	**112.01**	**3.85**

(ह.)

उप निदेशक

लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल प्रभाव

पैरा सं.	देनदारियाँ		परिसंपत्तियाँ	
	न्यूनोक्ति (रु. करोड़ में)	अत्युक्ति (रु. करोड़ में)	न्यूनोक्ति (रु. करोड़ में)	अत्युक्ति (रु. करोड़ में)
अ.I.1.1(क)	0.17		0.17	
अ.I.1.1(ख)	0.15			
अ(क)	100.20			
आ(ख)	0.29			
कुल	100.81			
कुल प्रभाव	100.81		0.17	

पैरा सं.	**आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता**	
	न्यूनोक्ति (रु. करोड़ में)	अत्युक्ति (रु. करोड़ में)
अ.I.1.1(ख)	0.15	
अ(क)	100.20	
आ(ख)	0.29	
कुल	100.64	
कुल प्रभाव	100.64	

(ह.)

उप निदेशक